UPBS120002002015

न्यायालय CIVIL JUDGE (J.D. KLD. at BASTI), Basti

पीठासीन अधिकारी– (DIKSHA AGARWAL), (उ०प्र० न्यायिक सेवा)– UP03335

मूलवाद सं० 202/2015

अशफाक अहमद बनाम शकीला बानो उर्फ गुड्डन आदि

14.10.2022

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली आज वादबिन्दु सं० 3 व 4 के निस्तारण हेतु नियत है।

निस्तारण वादबिंदु सं० 3

वादबिंदु सं० 3 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वाद अल्पमूल्यांकित है?

उपरोक्त वादबिंदु को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। प्रतिवादी ने जरिए वादोत्तर वाद को अल्पमूल्यांकित बताया है, जबकि वादी ने वाद का मूल्यांकन पर्याप्त होना कहा है। वादी ने वादपत्र के मूल्यांकन पैरा में वाद का मूल्यांकन मु० 1015.70 रूपए किया है तथा इसके सापेक्ष न्यायशुल्क अदा किया है। न्यायालय की राय में वाद का मूल्यांकन पर्याप्त प्रतीत होता है। प्रतिवादी द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे वाद का मूल्यांकन अन्यथा निर्धारित किया जा सके। अतः वादबिंदु सं० 3 प्रतिवादी के विरूद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वादबिन्दु सं० 4

वादबिन्दु सं० 4 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादीगण द्वारा प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?

उपरोक्त वादबिन्दु का निस्तारण वादबिन्दु सं० 3 के निष्कर्ष पर निर्भर करता है। न्यायालय द्वारा वादबिन्दु सं० 3 का निस्तारण करते समय वाद का मूल्यांकन पर्याप्त माना गया है। वादी द्वारा उपरोक्त मूल्यांकन के आधार पर ही न्यायशुल्क अदा किया गया है। वादी द्वारा प्रदत्त न्यायशुल्क पर्याप्त प्रतीत होता है। अतः वादबिन्दु सं० 4 प्रतिवादी के विरूद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थनापत्र 93 ग 2 लंच बाद पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०),
खलीलाबाद, स्थान–बस्ती।

लंच बाद

पत्रावली लंच बाद प्रार्थनापत्र 93 ग 2 के निस्तारण हेतु पुनः पेश हुई।

वादी द्वारा प्रार्थनापत्र 93 ग 2 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रस्तुत वाद में अदालत अमीन मौके पर पैमाइश करके अपनी रिपोर्ट 48 ग व नक्शा 49 ग प्रेषित किए हैं, जिसका निस्तारण अभी तक नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में अमीन द्वारा प्रेषित रिपोर्ट व नक्शा को निस्तारित किया जाना आवश्यक है।

प्रतिवादी द्वारा प्रार्थनापत्र पर कोई आपत्ति न होने का कथन किया गया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा प्रार्थनापत्र 93 ग 2

प्रस्तुत कर अमीन रिपोर्ट कागज सं० 48 ग 2, नक्शा कागज सं० 49 ग 2 व फील्ड बुक कागज सं० 50 ग 2 को निस्तारित किए जाने की याचना की गयी है। प्रतिवादी द्वारा प्रार्थनापत्र पर कोई आपत्ति न होने का कथन किया गया है। अतः न्यायालय की राय में अमीन रिपोर्ट कागज सं० 48 ग 2, नक्शा कागज सं० 49 ग 2 व फील्ड बुक कागज सं० 50 ग 2 साक्ष्याधीन पुष्ट किए जाने योग्य है तथा प्रार्थनापत्र 93 ग 2 तदनुसार निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

अमीन रिपोर्ट कागज सं० 48 ग 2, नक्शा कागज सं० 49 ग 2 व फील्ड बुक कागज सं० 50 ग 2 साक्ष्याधीन पुष्ट किया जाता है। तदनुसार प्रार्थनापत्र 93 ग 2 निस्तारित। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मय लिस्ट गवाहान दिनांक 05.11.2022 को पेश हो। टी०आई० नियत तिथि तक स्वीकृत।

सिविल जज (जू०डि०),
खलीलाबाद, स्थान–बस्ती।